अनुदान संख्या 43 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 43 – MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1308,66,00	1308,69,00	1147,39,07	-161,29,93
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				160,90,61

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	3610.00	3008.15	2981.06	-27.09
पु.	R.	-601.85			
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	95756.00	88981.16	88968.95	-12.21
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-6776.84			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	12000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-12001.00			
मुख्य शीर्ष "3401" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-Aid to State Governments				
मू.	O.	19250.00	22562.77	22562.76	-0.01
पु.	R.	3312.77			

(I) ₹12001.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष ''2552'' – ''खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दो शीर्षों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(का) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना'' – ₹7001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(खा) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारीकरण'' – ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹12001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) remained wholly unutilized under two heads under Major Head "2552" – "Food-Food Processing" – under the following heads :-

(A) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" – ₹7001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" – ₹ 5000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451'' – "सचिवालय – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय'' के अंतर्गत – ₹628.94 लाख की बचत (₹3610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम बैठकें आयोजित किए जाने तथा कम दौरे किए जाने की वजह से हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Food Processing Industries" – saving of ₹ 628.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3610.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards dearness allowance, conduction of less meetings and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष ''2408'' – ''खाद्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2408" – "Food" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''खाद्य प्रसंस्करण'' – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारीकरण'' – ₹13142.54 लाख की बचत (₹22700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव न मिलने, विज्ञापन तथा प्रचार प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट में रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Food Processing – "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises(PMFME) Scheme" – saving of ₹13142.54 lakhs(against the sanctioned provision of ₹22700.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from organizations/ agencies, non-materialization of advertisement and publicity proposals and non-filling up of vacant posts in National Programme Management Unit.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना'' – ₹2636.00 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5810.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारीकरण" – ₹1584.67 लाख की बचत (₹1665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्यमियों से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" – saving of ₹2636.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5810.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in March, 2022) was due to non-receipt of viable proposals from organizations/agencies.

(b) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" – saving of ₹1584.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1665.00 lakhs) was due to non-receipt of applications from entrepreneurs.

(गा) ''जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan" –

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना'' – ₹1273.54 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3010.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और कार्यक्रमों का आयोजन न किए जाने की वजह से हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारीकरण" – ₹915.62 लाख की बचत (₹1135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – ""केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारीकरण स्कीम'' – ₹543.92 लाख की बचत (₹2460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उद्यमियों से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹420.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

2(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13183.18 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2021 तथा मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" – खाद्य प्रसंस्करण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था –

(का) "प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना'' – ₹12256.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹12256.84 लाख था।

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" – saving of ₹1273.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3010.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2022) was due to non-receipt of viable proposals from organizations/agencies and non-holding of events.

(b) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" – saving of ₹915.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1135.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Special Component Plan for Scheduled Castes - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" – saving of ₹543.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2460.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of applications from entrepreneurs.

(V) Under one head saving of ₹420.00 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2(I) The above saving were partly (₹13183.18 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in July, 2021 and March, 2022 under Major Head "2408" – "Food – Food Processing" –

(A) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" – ₹12256.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹12256.84 lakhs.

(खा) ″खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन–सहबद्ध प्रोत्साहन योजना′′ – ₹926.28 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹926.27 लाख था।

(B) "Production-Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry" – ₹926.28 lakhs. Actual excess, however, was ₹926.27 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ″3601′′ – ″केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारीकरण′′–₹3952.61 लाख का अधिक व्यय (₹15790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ″2552′′ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" – excess of ₹3952.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15790.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by States and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.